न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/8343/2006/जिला सवाई माधोपुर

धन्ना पुत्र मंगला जाति कौली निवासी ग्राम ककराला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

....**अपीलान्ट**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
2– गिर्राज
3– नन्दा
4– बदरीलाल
5– पप्पूलाल
पिसरान जैन्या जाति कौली निवासी ग्राम ककराला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...**रेस्पोन्डेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अय्यूब खान, अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अभि. रेस्पो0 संख्या 1
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से।

निर्णय दिनांकः– 15.04.2019

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 36/05 में दिनांक 2–9–2006 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश उप जिला कलक्टर, बामनवास के न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 3 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि वादी को दिनांक 16–10–1975 को आवंटित की गई थी। उसे इस भूमि का कब्जा देकर तरमीम की गई तथा खसरा नम्बर 3/1 दिया गया। वादी को इस भूमि का पट्टा भी जारी किया गया। इस पट्टा की पुश्त पर खसरा नम्बर 3/1 का

नक्शा भी अंकित किया गया परन्तु इस आवंटित रकबे का तरमीमी नक्शा नहीं बनाया गया। वादी का भू खण्ड खसरा नम्बर 3 में डोटेड लाईन से बताये गये रास्ता के पूर्व की ओर इस रास्ते से लगता दिया गया। हाल भू प्रबन्ध में गत खसरा नम्बर 3 का नया नम्बर अन्य खसरा नम्बरों के अलावा 144 रकबा 14.9 हैक्टर बनाया गया है परन्तु उसे चारागाह अंकित कर दिया गया जबकि इसका इन्द्राज आवंटियों की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। खसरा नम्बर 144 में सेटलमेन्ट में किसी प्रकार की तरमीमात नही की गई किन्तु कुछ आवंटियों से साज बाज कर तत्कालीन भू–मापक श्री मोहनलाल ने वर्ष 1988 में अवैध रूप से बिना सक्षम आदेश के नक्शा खसरा नम्बर 144 में बटा नम्बर डालकर संशोधन कर दिया तथा इसी प्रकार जमाबन्दी में बिना किसी आदेश के बटा नम्बर डाल दिये गये। उनको पटवारी ने ही ''आदेश क्रमांक/एलआर/बामनवास/4538/ 15–10–1988 के अनुसार खसरा नम्बर 14 का रकबा 14.09 हेक्टेयर पूर्ववत किया गया व 144 से डाले गये बटे नम्बर जो मेरे द्वारा डाले गये उनको काटकर सही किया गया'' यह नोट जमाबन्दी व नक्शा में अंकिया कर दिया। वादी का हाल खसरा नम्बर 144 में पश्चिम की तरफ रास्ता छोड़कर पूर्व की ओर नक्शा पेश कर्ता में बताये कथित खसरा नम्बर 144 के पश्चिम की ओर तक करीब 1.25 हैक्टर भूमि पर है, जिसे नजरी नक्शा में क,ख, ग से दर्शाश गया है। यह कब्जा वक्त अलाटमेन्ट से आज तक जारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कया जाए। इसी तरह उसके कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स को पाबन्द किया जावे।

2क– प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र को कन्टेस्ट किया। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध की तथा निर्णय/डिक्री दिनांक 26–2–2005 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। प्रथम अपील दिनांक 2–9–2006 के निर्णय व डिक्री के द्वारा खारिज होने पर वादी/अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलान्ट की दलील है कि वादग्रस्त भूमि वादी/अपीलान्ट को आवंटित होने के समय से आज दिनांक तक वह उस पर काबिज है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 3 का एक बड़ा रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा था, जिसमें से वादी/अपीलान्ट को मात्र 5 बीघा भूमि आवंटित की

गई थी। इसके तरमीमी नम्बर 3/1 डाले गये थे। उसी मुताबिक वादी/अपीलान्ट को पट्टा दिया गया था। भू प्रबन्ध मापक ने मनमर्जी से तरमीमी खसरा नम्बर को काट कर नया बटा नम्बर डाल दिया जिसका उसे कोई क्षेत्राधिकार नही था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह बात भलीभांति स्वीकार की है कि वादी/अपीलान्ट को दिनांक 16–10–1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। इस तथ्य की पुष्टि स्वरूप वादी/अपीलान्ट ने नकल आवंटन पट्टा प्रदर्श–1, जमाबन्दी प्रदर्श–3 (सम्वत् 2027 से सम्वत् 2030), नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 प्रस्तत किए है। इन दस्तावेजात से गत खसरा नम्बर 3 का हाल खसरा नम्बर 144 रकबा 14.09 व अन्य खसरा नम्बरान बनना पाया जाता है। इसलिए जब वादी/अपीलान्ट को बटा नम्बर का ही पट्टा जारी किया गया था तो फिर राजस्व कर्मचारियों का दायित्व बनता था कि वह गत खसरा नम्बर में तरमीम करते और उसी मुताबिक हाल प्रबन्ध विभाग को भी बटा नम्बर के अनुसार ही नये नम्बर बनाने चाहिए थे अतः राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की सजा वादी भुगत रहा है। गत खसरा नम्बर 3 की किस्म परिवर्तन के बाद ही विवादित भूमि वादी/अपीलान्ट को आवंटित की गई थी तथा इस बाबत नामान्तकरण भी तस्दीक हुआ था। वादी/अपीलान्ट के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज की गई। इसका अमल दरामद सम्वत् 2027 से 2030 की जमाबन्दी में भी किया गया था। इसलिए भू प्रबन्ध विभाग को वादी/अपीलान्ट की गैर खातेदारी का अंकन समाप्त करने का क्षेत्राधिकार नही था। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह कहते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद/अपील खारिज की है कि गत खसरा नम्बर में कोई तरमीम नही हो रहा है अतः निवेदन किया गया है कि यह अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णयों एवं डिक्रियों को अपास्त करते हुए वाद वादी/अपीलान्ट डिक्री किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषकगण प्रतिवादीगण/ रेस्पोन्डेन्ट्स ने उक्त दलीलों को विरोध किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक रूप होने व उनमें कोई अवैधानिकता नहीं होने से यह अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

6– उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों सम्बन्धी समवर्ति निष्कर्ष है कि वादी ने जिस भूमि की स्वंय को आवंटन होना बताया है, उसके गत खसरा

नम्बर में कोई तरमीम नही हो रही है तथा मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नम्बर 3/1 का हाल कोई रकबा बनना नहीं पाया जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के इस बाबत भी समवर्ति निष्कर्ष है कि वादी/अपीलान्ट ने अपना कब्जा साबित करने के लिए भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों में कोई illegality या perversity नहीं है। अतः इस द्वितीय अपील में हस्तक्षेप लायक गुंजाईश नहीं पाई जाती है। प्रकरण में विधि का कोई बिन्दु निहित नहीं है। इसलिए यह अपील काबिज खारिज है।

8– लिहाज़ा यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष